झारखण्ड सरकार

कार्यालय : जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, गिरिडीह

अति अल्पकालीन निविदा वर्ष 2021–22

मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 648, दिनांक 21.05.2021 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना (प्रस्तावित) एवं अन्य के अंतर्गत पूर्व वर्ष की भाँति गिरिडीह जिला में मत्स्य स्पॉन की आपूर्ति हेतु हैचरी संचालक–मत्स्य स्पॉन उत्पादक–सह–आपूर्तिकर्त्ता से मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है।

1. निविदादाता का नाम – जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, गिरिडीह।
2. अग्रधन राशि – 1,20,000 रू0 (क्र0– 1 में वर्णित नाम से गिरिडीह में भुगतेय बैंक ड्राफ्ट)
3. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय – 18.06.2021 को 1:00 बजे अपराह्न तक।
4. निविदा निस्तारण की तिथि एवं समय – 18.06.2021 को 3:00 बजे अपराह्न ।

निविदा की शर्तें जिला मत्स्य कार्यालय, गिरिडीह के सूचना पट्ट एवं www.giridih.nic.in पर किसी भी कार्यदिवस में देखी जा सकती है।

04/6/2021

जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
गिरिडीह।

कार्यालय, जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, गिरिडीह।

स्पॉन हेतु अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

आवश्यक शर्तें :–

1. स्पॉन आपूर्तिकर्ता के पास मत्स्य हैचरी होनी अनिवार्य है।
2. हैचरी का सरकारी निबंधन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।
3. स्पॉन आपूर्तिकर्ता को अपने मत्स्य हैचरी का विवरण एवं उपलब्ध बुडर का आँकड़ा देना अनिवार्य होगा।
4. स्पॉन आपूर्तिकर्ता को मत्स्य हैचरी का प्रति चरण स्पॉन उत्पादन क्षमता से अवगत करना अनिवार्य होगा।
5. आपूर्ति किए जाने वाले स्पॉन में कम से कम 40% कतला होना अनिवार्य होगा।
6. स्पॉन की आपूर्ति पॉलिथिन बैग पैकिंग में जिला मुख्यालय या अधोहस्ताक्षरी द्वारा विभिन्न प्रखण्डों में निर्धारित कलस्टर स्थल तक जीवित एवं स्वस्थ अवस्था में पहुँचा कर करना होगा।
7. प्रति पॉलिथिन बैग में आपूर्ति किए जाने वाले स्पॉन की संख्या हैचरी से वितरण स्थल तक की दूरी के अनुसार होगी, जिससे स्पॉन की उतरजिविता बनी रहे। प्रति पॉलिथिन बैग में न्यूनतम 30000 तथा अधिकतम 50000 स्पॉन की पैकिंग स्वीकार की जायेगी। स्पॉन आपूर्ति हेतु सफल निविदादाता को कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।
8. पूर्व में सरकारी क्षेत्र में स्पॉन आपूर्ति का न्युनतम पाँच वर्षो का अनुभव एवं ब्योरा, पहचान पत्र, अद्यतन GST पंजी की छाया प्रति, पैन न0 की छाया प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. विगत पाँच वर्षो का आयकर रिर्टन (2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020.21) संलग्न करना अनिवार्य है।
10. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ प्रतिभूति राशि के रूप मे मो0 120000/– रू0 मात्र का बैंक ड्राफट जो अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से गिरिडीह में भुगतेय होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. स्पॉन की आपूर्ति हैचिंग के लगभग 60 घंटा बाद गुणवत्ता आधारित मानको के अनुरूप तय समय सीमा के अन्दर जीवित एवं स्वस्थ अवस्था में पहुँचा कर देना होगा, गुणवत्ता के मापदंडो के अनुसार आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में संबधित को काली सूची में डालते हुए प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।
12. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के आधार पर मत्स्य हैचरी की क्षमता एवं उपलब्ध बुडर का आँकडा असत्य पाये जाने पर प्रथम सफल निविदादाता की प्रतिभूति राशि जब्त की जायेगी तथा उक्त दर पर ही द्वितीय सफल निविदादाता को मौका दिया जायेगा।
13. प्रथम सफल निविदादाता किसी कारणवश स्पॉन आपूर्ति करने में असमर्थ हो जाता है, तो उस स्थिति में प्रथम सफल निविदादाता की प्रतिभूति राशि जब्त की जायेगी तथा उक्त दर पर ही द्वितीय सफल निविदादाता को मौका दिया जाएगा।
14. विभाग द्वारा स्पॉन का अधिकतम 550/– प्रतिलाख अनुमाणित दर निधारित है।
15. निविदादाता को स्पॉन का दर (परिवहन एवं पैकेजिंग शुल्क सहित) प्रति लाख की दर से अंकित करना होगा। सफल निविदादाता को स्पॉन आपूर्ति के समय स्वीकृत निविदा राशि का 10% लाभुक (मत्स्य बीज उत्पादक) द्वारा एवं शेष 90% राशि सरकार द्वारा देय होगा।
16. विभाग हित में निविदा की शर्तो में बिना कारण बताए, किसी भी समय बगैर पूर्व सुचना के परिवर्तन करने, निविदा की शर्तो में बिना कारण बताए, स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार परिवर्तन करने निविदा निरस्त करने, स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
17. निविदा खोलने का स्थान, तिथि एवं समयः जिला मत्स्य कार्यालय गिरिडीह, 18.06.2021 के अपराह्न 3.00 बजे।
18. बिना कारण बताए अधोहस्ताक्षरी के पास निविदा रदद् करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
19. किसी तरह का विवाद का निपटारा जिला न्यायालय के अंतर्गत ही मान्य होगा।

ह0/– 04/6/2021

जिला मत्स्य पदाधिकारी
–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
गिरिडीह